क्रमांक— 17

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग—दो

शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2023 (फाल्गुन 12, 1944)

लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में वर्ष 2023—2024 की अवधि हेतु क्रमशः नौ—नौ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2023 को लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन के प्रस्ताव को सभा द्वारा स्वीकृति दी गई। समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:—

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधानसभा सचिवालय में **मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023** को अपरान्ह् 1.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा **बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2023** को अपरान्ह् 2:00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक —दो में होगी।

3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना **गुरूवार, दिनांक 16 मार्च,2023** को अपरान्ह् 1:00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है।

4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान **सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023** को प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह् 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक — 2 में होगा।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धात के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा